संख्या-57/2024/357(1)/002-23-9-2024-23-9002(002)/41/2023

प्रेषक,

शिव कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0शासन

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जौनपुर, उत्तर प्रदेश।

लोक निर्माण अनुभाग-9 लखनऊ: दिनांक 21 मार्च, 2024

विषय - वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-83 के एस0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत जनपद जौनपुर में सादीपुर हरिजन बस्ती सम्पर्क मार्ग के चालू कार्य हेतु अवशेष धनराशि आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-891/3-ए, दिनांक 15.03.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-83, एस0सी0पी0 योजनान्तर्गत निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-4 में उल्लिखित शासनादेशों द्वारा पूर्व में स्वीकृत जनपद जौनपुर में सादीपुर हरिजन बस्ती सम्पर्क मार्ग के चालू कार्य हेतु स्तम्भ-10 के अनुसार अवशेष रू0 26,25,000/- (रूपये छब्बीस लाख पचीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :- **(धनराशि रू0 लाख में)**

क्रम सं0	जनपद का नाम	मार्ग का नाम	मूल शासनादेश	स्वीकृत लागत/ प्राविधिक लागत/गठित अनुबन्ध की लागत	बचत	बचत के उपरान्त कार्य की कुल लागत	अब तक आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	वित्तीय वर्ष 2023-24 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	जौनपुर	सादीपुर हरिजन बस्ती सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	106/2019/आ0-118(1)/23-9-2019-03एस0सी0पी0/2019, दिनांक 13.11.2019	69.40 69.40 50.75	8.69	60.71	34.46	26.25	26.25

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) उक्त मार्गों को निर्धारित मानकों के अनुसार गुणवत्तापरक पूर्ण कराकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(3) उक्त मार्गों के अंश, लोक निर्माण अंश में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पृथक-पृथक वित्तीय प्रगति सहित वास्तविक भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं उनके स्थलीय फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(4) स्तम्भ-5 में अंकित शासनादेशों की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 एवं यथासंशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2023/बी-1-602//दस-2023-231/2023, दिनांक 19 सितम्बर, 2023 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी.डी.ओ. कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं.-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

04.05.2022 निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(7) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति से वर्तमान में प्रभावी आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन न हो।

संज्ञान में आया है कि उक्त कार्य पर शासनादेश सं0-54/2024/357/23-9-2024-23-9002(002)/41/2023, दिनांक 19.03.2024 द्वारा टंकण त्रुटिवश वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 5054047892800 के स्थान पर **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 5054047892700 से रुपये 26,25,000 (रुपये छब्बीस लाख पच्चीस हजार मात्र) धनराशि अवमुक्त की गयी है। अत: उक्त शासनादेश दिनांक 19.07.2024 को निरस्त पढ़ा व समझा जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 26,25,000 (रुपये छब्बीस लाख पच्चीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 5054047892800 कृषि विपणन सुविधाओं हेतु राजस्व ग्राम/बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का नवनिर्माण/पुनर्निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

शिव कुमार
अनु सचिव।
उ0प्र0 शासन।

<u>संख्या- उपरोक्त एवं तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।
2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
3- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
4- प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
5- संबंधित मुख्य विकास अधिकारी/संबंधित संयुक्त विकास आयुक्त।
6- संबंधित जिला विकास अधिकारी/संबंधित परियोजना निदेशक।
7- संबंधित अपर मुख्य विकास अधिकारी, जिला परिषद।
8- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
9- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो01नि0वि0, लखनऊ।
10- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/8
11- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
12. वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
13- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)।
14- लोक निर्माण अनुभाग-10/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शिव कुमार
अनु सचिव।
उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in